

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-03/2022

1985

/पटना, दिनांक- 24.6.22

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना-मांग संख्या-37, मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0104 (विपत्र कोड-37-4515007890104) के अंतर्गत योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग-इस कार्यालय का पत्रांक-BRRDA (HQ)-MMGSY-184/18-1238 /पटना, दिनांक 06.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अनुसूचित जाति) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीनस्थ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल-09 (नौ) अर्द्ध पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्रासंगिक पत्र के क्रमांक-03 पर उल्लेखित कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए कुल 01 (एक) अर्द्ध योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ-10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है :-

क्रम सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड का नाम	श्रेणी	पथ का नाम	कोर नेटवर्क का क्रमांक	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	कुल जनसंख्या	पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gopalganj-2	Baikunthpur	SC	Saran Bandh PMGSY Sadak to Chakari Gaon	3146	1.185	450	104.310	126.410
		Total				1.185		104.310	126.410

2. विभागीय मंत्री महोदय द्वारा निम्न शर्तों के साथ इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

- इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2022-23 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।
- कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
- इस योजना के पंचवर्षीय रख-रखाव की राशि 3054 मद से भारित होगा।
- इस कार्य के लिए एकरारित संवेदक से पूरक एकरारनामा कर एकरारित दर पर ही संवेदक को भुगतान किया जायेगा।

Canor

23/6/22

3. सारणी में अंकित उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY-03/2022 के पृष्ठ-05/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।
4. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5. पूरक एकरारनामा में वृद्धि वाले मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के अनुमोदित दर पर एवं नए मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) के अनुसार होगी, जिसके निर्धारण का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता का है। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक एकरारनामा की दर एवं प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) से अधिक नहीं होगी।
6. योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम-4-53/2007-3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
(ङ.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-MMGSY-03/2022 पृष्ठ संख्या-
...../टि0 पर दिनांक 21.6.2022 को प्राप्त है।

अनु०-प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न।

विश्वासभाजन

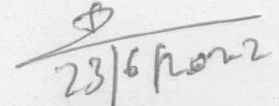
23/6/2022

सरकार के विशेष सचिव

Comer

ज्ञापांक: BRRDA(HQ)-MMGSY-03/2022 1985 /पटना, दिनांक- 24.6.22

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/उपविकास आयुक्त, गोपालगंज/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3, पटना/मुख्य अभियंता-4/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


23/6/2022

सरकार के विशेष सचिव

